


उत्तराखण्ड शासन
सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग
संख्या:-451/XLIII(I)/14-20(01)/2014
देहरादून:दिनांक 17 जुलाई, 2014

अधिसूचना

- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 13(1) एवं धारा 15 के प्राविधानान्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल श्री आलोक कुमार जैन को "उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग" के मुख्य आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।
2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 (3) के अधीन श्री जैन के शपथ ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। श्री जैन द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण उक्त अधिनियम की धारा-15 (2) के अनुरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा से उनकी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के उपरांत किया जा सकेगा।
 3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा-15(1) के अनुरूप श्री जैन के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
 4. मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार आयोग के वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा-15 (5) के अनुरूप होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या:451/XLIII(I)/14-20(01)/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. श्री आलोक कुमार जैन, आई0ए0एस0, मुख्य स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से कि इसकी 100 प्रतियां मुद्रित करा कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 देहरादून।
13. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
14. मीडिया सेन्टर।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(भास्करानन्द)
सचिव

कार्यालय: मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड
सेवा का अधिकार आयोग।

संख्या: ०१/मु०आ०उ०से०आयोग/१४

दिनांक: २२ जुलाई, २०१४

शासकीय अधिसूचना संख्या-४५१/XLIII(I)/१४-२०(०१)/२०१४ दिनांक १७ जुलाई, २०१४ के क्रम में मुख्य आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पद पर दिनांक २२ जुलाई, २०१४ के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया।



(आलोक कुमार जैन),
मुख्य आयुक्त,

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग।

पृष्ठांकन संख्या- ०१ / मु०आ०उ०से०आयोग / १४

दिनांक: २२ जुलाई, २०१४

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

१. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
२. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
३. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
४. अपर मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
५. प्रमुख सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
६. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
७. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
८. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
९. महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
१०. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
११. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
१२. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
१३. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
१४. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
१५. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
१६. केन्द्रीयकृत कोषागार (साइबर कोषागार) २३ लक्ष्मी रोड, देहरादून।
१७. गार्ड फाईल।



(आलोक कुमार जैन),
मुख्य आयुक्त,

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग।